मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

सूचना

क्रमांक 1088/02/2016/लेखा इन्दौर दिनांक 22.04.16

लोक सेवा आयोग कार्यालय के उपयोग हेतु लगभग 7.50 लाख (एक्स शो रूम प्राईज) तक की कीमत तक की नवीन मॉडल (वर्ष–2016) की डीजल कार टाटा इंडिगो/फॉक्स वेगन/स्विफ्ट डिजायर/फोर्ड फिगो या उल्लेखित कीमत तक की अन्य कोई एक अथवा अधिकतम संभावित चार नवीन कार मय ए.सी. मासिक दर पर अनुबंध के आधार पर अधिकतम एक वर्ष हेतु उपलब्ध कराने के लिये पंजीकृत संस्थाओं से सील बंद लिफाफों में निविदा दिनांक 19.05.2016 को अपरान्ह 5.00 बजे तक आयोग की आवक शाखा में आमंत्रित की जाती है।

निविदा/संविदा की शर्तें व प्रपत्र आयोग कार्यालय से किसी भी कार्यालयीन दिवस में रूपये 100/– (अक्षरी रूपये एक सौ मात्र) नगद जमा कर भंडार शाखा से प्राप्त किये जा सकते है। प्राप्त निविदाएँ दिनांक 20.05.2016 को अपरान्ह 3.00 बजे आयोग कार्यालय मे खोली जायेगी।

निविदा फार्म तथा संविदा की शर्तें आयोग की वेब साईट www.mppsc.nic.in से भी डाउन लोड की जा सकती है । ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने पर निविदा के साथ आयोग कार्यालय में निविदा का शुल्क रू0 100/– की मूलतः एमपीटीसी रसीद निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जाना अनिवार्य रहेगा ।

(एन.के. चन्दवाडा)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

निविदा मूल्य

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु संविदा शर्ते

रूपये 100/–

1. निविदा के साथ रूपये 26000/– का सुरक्षा निधि के रूप मे राष्ट्रीयकृत बैंक की डी0डी0 सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पक्ष में संलग्न किया जाए अन्यथा निविदा अमान्य की जावेगी। सुरक्षा निधि पर ब्याज देय नहीं होगा। बिना धरोहर राशि (ई0एम0डी0) के निविदा अस्वीकृत कर दी जावेगी । सुरक्षा निधि एवं निविदा फार्म दोनो पृथक–पृथक दो लिफाफों में प्रस्तुत किये जाये एंव लिफाफे के उपर स्पष्टतः ''सुरक्षा निधि'' तथा ''वित्तीय प्रस्ताव'' पृथक पृथक लिखा जाऐ। निविदा अस्वीकृत होने पर सुरक्षा निधि लौटा दी जायेगी।

2. फर्म की वित्तीय स्थिति के प्रमाण हेतु वर्ष 2016–17 से पूर्व के तीन वर्षो की आयकर विवरणी उपलब्ध कराई जाना अनिवार्य है ।

3. उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में फर्म के मालिक तथा उपलब्ध कराये गये वाहन के मालिक के नाम में भिन्नता पाये जाने पर अनुबंध निरस्त किया जावेगा ।

4. वाहन मॉडल वर्ष 2016 का होना चाहिए। वाहन का मॉडल वर्ष तथा उसकी कंडीशन देखने के पश्चात ही निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जाएगी तथा इसका पूर्ण अधिकार सचिव म.प्र. लोक सेवा आयोग को रहेगा।

5. वाहन टेक्सी कोटे के रूप में क्षेत्रीय परिवाहन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना आवश्यक है तथा वाहन प्रदाता को वाहन के काम्प्रीहेन्सिव बीमा, रजिस्ट्रेशन वाहन चालक का ड्राईविंग लायसेंस इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने होंगे तथा उनकी एक–एक प्रति कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन प्रदाता उसके लिए पूर्ण जिम्मेदार होगा। वाहन का काम्प्रेहेन्सिव बीमा अद्यतन रखना आवश्यक होगा। केन्द्रीय आबकारी विभाग से वाहन का उपायोग टैक्सी कार के रूप में पंजीकृत (15 डिजिट का सर्विस टैक्स नंबर) होना अनिवार्य है। वाहन के रजिस्ट्रेशन, काम्प्रेहेन्सिव बीमा, रोड टेक्स आदि शासकीय कर से संबंधित तथा वाहन से संबंधित मूल कागजात अनिवार्य रूप से अवलोकन हेतु प्रस्तुत करना होगें तथा समस्त अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियॉ उपलब्ध करवाना होगी। वाहन के प्रतिवर्ष बीमा नवीनीकरण, जमा किये गये रोड टैक्स इत्यादि की सत्यापित छायाप्रति भी निरंतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा वाहन के किराये का भुगतान नहीं किया जावेगा ।

अवरित.....2

6. वाहन पर व्यवसायिक लायसेंसधारी एवं अनुभवी वाहन चालक को रखा जावे। वाहन चालक को समय का पांबद, उत्तम व्यवहार एवं अच्छे चाल चलन का होना आवश्यक है, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन निविदा मान्य होने पर कराया जाये। यदि माह में वाहन चालक अनुपस्थित रहता है तो उसके स्थान पर अन्य वाहन चालक की व्यवस्था निविदाकर्ता को करनी होगी, अन्यथा प्रतिमाह के लिये निश्चित किराये के अनुसार प्रतिदिन के मान से वाहन किराए में कटोत्री की जाएगी। किसी वाहन चालक के अनुपस्थित रहने पर एवज में आने वाले वाहन चालक के दस्तावेज एवं अनुभव का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये। वाहन चालको की पहचान आदि के लिये उनका पूर्ण पता एवं अन्य विवरण आदि दस्तावेज भी वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के निज सहायक को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाय । वाहन चालक का वेतन भत्ता व अन्य खर्चे वाहन मालिक स्वयं वहन करेगा। वाहन चालक का कार्य एवं व्यवहार संतोषजनक न होने की शिकायत पर वाहन चालक बदलना अनिवार्य होगा।

7. वाहन आयोग के अधीन रहेगा एवं वाहन चालक को लॉग बुक अपने साथ रखना अनिवार्य होगा। वाहन चालक द्वारा लॉग बुक का संधारण प्रतिदिन किया जावेगा। वाहन इन्दौर लोकल भ्रमण करने पर इन्दौर लोकल एवं प्रवास पर भ्रमण करने पर प्रवास स्थल/शहर का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना अनिवार्य रहेगा । वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी अथवा आयोग के निर्देशानुसार वाहन की मीटर रीडिंग (प्रतिदिन की गई यात्रा) का प्रमाणीकरण/सत्यापन लॉग बुक में करवाना होगा।

8. ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा सप्ताह में सभी दिवसो में 24X7 घंटे के लिये वाहन उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति मे वाहन मालिक को दो घंटे के अंदर अन्य वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था संबंधित अधिकारी के लिये करना अनिवार्य होगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन का देय नहीं होगा। प्रतिदिन के लिये निश्चित किराया के अनुसार प्रतिदिन के मान से किराया काटा जायेगा, संबंधित अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उस व्यय का भार वाहन मालिक को वहन करना होगा। इस प्रकार उपलब्ध कराये गये वाहन के लिये निविदा की शर्ते यथा स्थिति लागू होगी।

9. वाहन का अनुबंध प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा सेवाएं एवं वाहन का रख–रखाव संतोषजनक होने पर आगामी एक–एक वर्षो के लिए तथा अधिकतम तीन वर्षो तक या आगामी निविदा होने तक बढ़ाया जा सकेगा।

अविरत.....3

10. वाहन की उपस्थिति एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक होगा। वाहन में अच्छी स्टेपनी होगी, सभी चारों पहिये टायर–ट्यूब नये होना चाहिये तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य होगा इसकी जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी ।

11. यह कि माईलोमीटर में गडबडी या हेराफेरी या वाहन चालक व्दारा सडक मार्ग हेतु माप अनुसार निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दर्शाने की दशा में सडक मार्ग की निर्धारित दूरी मान्य की जावेगी । किसी प्रकार की हेराफेरी/गडबडी पाये जाने पर वाहन प्रदाता के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

12. मासिक किरायेदारी अंतर्गत वाहन कार्यालय/आवंटित अधिकारी के आवास में खडा करना अनिवार्य होगा ।

13. वाहन किराये पर लेने के पश्चात् वाहन के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना/चोरी/टूट फूट के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं रहेगा।

14. वाहन की टूट–फूट/पंचर/टोल टेक्स आदि का व्यय वाहन मालिक को वहन करना होगा।

15. प्रतिमाह न्यूनतम एक हजार कि.मी. के लिये स्वीकृत फिक्सड किराया व एक हजार कि.मी. के पश्चात् अतिरिक्त प्रति कि.मी. की स्वीकृत दर के अलावा कोई अन्य भुगतान मान्य नहीं होगा ।

16. निविदा पर निविदाकार के हस्ताक्षर न होने की स्थिति मे निविदा अमान्य की जावेगी ।

17. वाहन के मुख्यालय से बाहर प्रवास के दौरान वाहन में किसी खराबी के कारण यात्रा व्यवधान पर शेष प्रवास मे हुए वास्तविक व्यय का भुगतान स्वयं वाहन मालिक को करना होगा।

18. अनुबंध अवधि में वाहन के किराये में कोई परिवर्तन नहीं होगा और कोई अन्य शर्त मान्य नहीं होगी। अनुबंधित दरें अधिकतम एक वर्ष के लिए अथवा आपसी सहमति से सेवाएं व रख–रखाव संतोष जनक होने पर आगामी निविदा होने तक की अवधि के लिये मान्य होगी। डीजल/पेट्रोल की दरो में वृद्धि होने पर भी अनुबंधित दरें नहीं बढ़ाई जावेगी। उक्त आधार

अविरत.....4

पर अनुबंधित अवधि मे वाहन बंद नहीं किया जा सकेगा। अन्यथा जमानत राशि राजसात कर ली जावेगी तथा अन्य वाहन किराये पर लिये जाने से जो भी किराया देय होगा वह अंतिम देयकों/अमानत राशि से काटा जावेगा तथा भू–राजस्व संहिता अनुसार वसूल होगा।

19. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लघंन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन मालिक की होगी। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय वाहन मालिक वहन करेगा। वाहन से सम्बद्ध काम्परहेन्सीव बीमा व अन्य अभिलेखो की वैधता अवधि के संबंध में वाहन मालिक व्दारा विशेष ध्यान रखा जाए व अद्यतन कागजात वाहन चालक के पास रखे जाना अनिवार्य है क्योंकि माननीय सदस्यो एवं अन्य उच्चाधिकारियो को शासकीय कार्य से भोपाल/अन्यत्र बार–बार जाना–आना होता है।

20. वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसके निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं वाहन के उपयोग के फलस्वरूप यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति किसी न्यायालय द्वारा आदेशित की जाती है तो उसकी संपूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी।

21. सभी प्रकार के टैक्स मोटर कार या कर बीमा आदि वाहन मालिक वहन करेगा।

22. किसी भी निविदाकार को बिना कोई कारण बताए निविदा निरस्त करने का अधिकार सचिव म.प्र. लोक सेवा आायोग को होगा।

23. किसी कारणवश अगर वाहन बदला जाता है तो इसकी सूचना एवं अभिलेख भी आयोग कार्यालय को देनी होगी।

24. निविदाकर्ता को माह में कम से कम एक बार तथा आवश्यकता होने पर वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी से संम्पर्क करना अनिवार्य होगा।

25. निविदा आमंत्रण सूचना निविदा प्रपत्र एवं वाहन प्रदाता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विभिन्न सत्यापित अभिलेख भी अनुबंध के अंग होंगे।

अविरत.....5

26. वाहन किराये का देयक प्रत्येक माह की 05 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाये। देयक पर संस्था का TIN No. एवं बैंक खाता क्रमांक व IFSC Code No. अंकित होना एवं वाहन की मूल लॉग बुक एवं लॉग बुक की छायाप्रति वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी अथवा आयोग के निर्देशानुसार सत्यापित करवाया जाना अनिवार्य है। ई भुगतान हेतु बैंक पासबुक की छायाप्रति भी संलग्न करें। उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का पालन न होने पर किराया देयक का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। देयकों के परिक्षण एवं सत्यापन कें उपंरात भुगतान ई–पैमेंट के माध्यम से किया जावेगा।

27. किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया जा सकेगा तथा उनके द्वारा पारित निर्णय उभय पक्षो को मान्य होगा। किसी भी प्रकार का न्यायालयीन विवाद उत्पन्न होने पर न्यायालयीन क्षेत्राधिकार इन्दौर होगा।

28. किराया देयक से नियमानुसार कर का कटोत्रा करने के उपरांत ही भुगतान किया जावेगा।

29. कार्यालय एक माह की लिखित सूचना देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। निविदकर्ता द्वारा अनुबंध समाप्त करने की सूचना न्यूनतम दो माह पूर्व दी जाएगी।

30. यदि अनुबंधकर्ता द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो एक सप्ताह की पूर्व सूचना/नोटिस दिया जाकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।

31. आयोग कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेश/निर्देश का पालन किया जाना आवश्यक रहेगा।

32. निविदत्त दरों के अलावा अन्य कोई व्यय या भत्ता देय नहीं होगा।

33. निविदा स्वीकृत होने के अधिकतम पांच दिवसो के भीतर सफल निविदाकार को रू. 6500/– प्रति वाहन की दर से परफारमेंस गारंटी के रूप में डेढ वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर के पक्ष में जमा करना होगा अन्यथा धरोहर राशि राजसात की जावेगी एंव कार्यादेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर अनुबंध किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा निरस्त किया जाकर धरोहर राशि राजसात की जाएगी। अनुबंध की तिथि से ही वाहन उपलब्ध कराना होगा।

34. संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता व्दारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण (monitoring) भी कार्यालय व्दारा किया जावेगा एंव तदनुसार अनुबंध निरंतर रहेगा।

अवर सचिव

अनुक्रमांक ..... एमपीटीसी–6 क्र. दिनांक

fufonk Qke

1. संस्था का नाम एवं प्रोप्राईटर का नाम :–
2. संस्था का पंजीयन क्रमांक :–
3. वाहन के मालिक का नाम :–
4. मोबाईल/दूरभाष क्रमांक :–
5. वाहन का विवरण :–

क्रं.	वाहन का नाम (डीजल)	पंजीयन क्रमांक	मेक व मॉडल वर्ष 2016	कितने कि.मी. चल चुका

6. बीमा विवरण
7. सेवाकर पंजीयन क्रमांक
8. वाहन की दरें :– (लगभग रू. 7.50 लाख की (Ex-Showroom Price)) लागत तक की ए.सी. कार)

(अ) वाहन मय वाहन चालक तथा डीजल अनुरक्षण व अन्य समस्त खर्च सहित :–

(1) मुख्यालय पर निर्धारित 1000 कि.मी. हेतु फिक्सड किराया प्रति माह (टेक्स सहित) प्रति वाहन दर

रू. ....

(2) प्रवास पर उपयोग होने पर प्रति कि.मी. प्रति वाहन (टेक्स सहित) दर रू. .....

.....

अविरत.....2

9. सुरक्षा निधि का विवरण :–

सरल क्रमांक	डी.डी. क्रमांक एवं दिनांक	बैंक का नाम व ब्रांच	राशि रूपये

विशेष – निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्ते मैंने समझ ली है और वह मुझे पूर्णतः स्वीकार्य है। उक्त निविदा दर के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की राशि देयक में अधिरोपित नहीं की जावेगी।

निविदाकर्ता फर्म का नाम एवं पूर्ण पता

.....

.....

.....

दूरभाष/फैक्स क्रमांक .....

मोबाईल क्रमांक .....

निविदादाता फर्म प्रमुख के हस्ताक्षर

.....

निविदादाता फर्म प्रमुख का नाम

निविदादाता फर्म की सील

नोट :– किसी प्रकार की कांट–छांट ओवर राईटिंग न करें। कांट–छांट ओवर राईटिंग करने या उपरोक्त दरों के अलावा प्रपत्र में किसी अन्य प्रकार नोट/शर्ते लिखने पर निविदा अमान्य कर दी जावेगी।